



श्री शिवराज सिंह चौहान,  
मुख्यमंत्री



मध्यप्रदेश शासन

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

## मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022)



श्री प्रेम सिंह पटेल, मंत्री  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन  
कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

Web site: <http://socialjustice.mp.gov.in>, <http://mpvivahportal.nic.in>

Email Address: [dir.socialjustice@mp.gov.in](mailto:dir.socialjustice@mp.gov.in)

Contact No: 0755-2556916

**मध्यप्रदेश शासन**  
**सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश  
फोन- 0755-2708493 ईमेल- [pssocialjustice@mp.gov.in](mailto:pssocialjustice@mp.gov.in)

क्रमांक एफ 3-39/2017/26-2

भोपाल, दिनांक 22/04/2022

प्रति,

**समस्त कलेक्टर,**  
मध्यप्रदेश।

विषय :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022) के क्रियान्वयन के संबंध में।

----

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006 में निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/ परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई, जो योजना वर्तमान में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित है।

2/ विभाग द्वारा उक्त योजनाओं के प्रावधानों में आंशिक संशोधन किये गये हैं तथा यह भी निर्णय लिया गया है कि श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया जाये।


3/ पूर्व में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-14/2013/26-2 दिनांक 24 जून 2013 द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आरंभ दिनांक के पश्चात किये गये संशोधनों को एकजाई कर एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया था।

4/ अभी तक योजना के संचालन हेतु जारी सभी दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए प्रचलित प्रावधान एवं अब तक किये गये सभी संशोधनों को समाहित कर योजना को नवीन स्वरूप प्रदान कर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022) के नवीन दिशा-निर्देश एक पुस्तिका के रूप में तैयार किये गये हैं जो संलग्न है। अतः संशोधित योजना के अनुरूप क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से


तथा आदेशानुसार



(प्रतीक हजेला)

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन  
कल्याण विभाग

1. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
  2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग भोपाल।
  3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
  4. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
  5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
  6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
  7. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, भोपाल।
  8. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
  9. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल।
  10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, भोपाल।
  11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
  12. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
  13. आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, भोपाल।
  14. सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल, भोपाल।
  15. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश की ओर प्रचार-प्रसार हेतु।
  16. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
  17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  18. समस्त आयुक्त नगर निगम, मध्यप्रदेश।
  19. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
  20. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
  21. समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश।
  22. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख सचिव,  
म.प्र. शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन  
कल्याण विभाग

**मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022)**  
**अनुक्रमणिका**

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	उद्देश्य	1
3	योजना का विस्तार	1
4	सहायता राशि	1
5	पात्रता के मापदण्ड	1
6	अन्य मापदण्ड	2
7	जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन समिति	2
8	कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत संस्था	3
9	तिथियों का निर्धारण	4
10	विवाह हेतु हितग्राहियों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया	4
11	आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले पात्रता संबंधी दस्तावेज	5
12	विवाह हेतु हितग्राहियों की पात्रता की जांच एवं चयन प्रक्रिया	6
13	वधू को उपहार सामग्री प्रदान करने की प्रक्रिया	6
14	दरों के निर्धारण हेतु प्रक्रिया	7
15	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	8
16	आहरण संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.)	8
17	कार्यक्रम के आयोजन एवं उपहार सामग्री की गुणवत्ता	8
18	वधू को अकाउन्ट पेयी चेक प्रदान करने हेतु प्रक्रिया	8
19	अपीलीय अधिकारी	8
20	विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाईन एप्लिकेशन द्वारा जारी करने की प्रक्रिया	8
21	अभिलेखों का संधारण	9
22	आडिट	9
23	बजट	9
24	श्रम विभाग से राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया	10
26	प्रचार-प्रसार	10
27	अन्य बिन्दु	10
28	परिशिष्ट	12-26

# मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

(संशोधित योजना 2022)

- 1. प्रस्तावना :-** मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2006 में निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/ परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई, जो योजना वर्तमान में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित है।  
अभी तक योजना के संचालन हेतु जारी सभी दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए प्रचलित प्रावधान एवं अब तक किये गये सभी संशोधनों को समाहित कर योजना को नवीन स्वरूप प्रदान कर 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022)' के नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।
- 2. उद्देश्य :-** इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत् जरूरतमंद कन्याओं/विधवाओं (कल्याणी)/परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
- 3. योजना का विस्तार :-** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नवीन स्वरूप में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में आदेश दिनांक 22.04.2022 से प्रभावशील होगी।
- 4. सहायता राशि :-** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह सम्पन्न कराने वाली प्रत्येक पात्र कन्या/विधवा(कल्याणी)/परित्यक्ता (जिसे आगे वधू कहा गया है) को राशि रूपये 55000/- प्रति कन्या के मान से स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें से रूपये 11000/- की राशि वधू को अकाउन्ट पेयी चेक (A/C Payee Cheque) एवं रूपये 38000/- की सामग्री वधू को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदाय की जायेगी। रूपये 6000/- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी।
- 5. पात्रता के मापदण्ड :-**
  - 5.1. वधू/वधू के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
  - 5.2. वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
  - 5.3. परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो।

5.4. योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं रहेगा किन्तु यह आवश्यक होगा कि हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही सम्पन्न कराये। एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

## 6. अन्य मापदण्ड :-

6.1. श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हेतु विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया गया है। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हितग्राहियों को भी सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह में भाग लेना होगा एवं पात्रता की शर्तों को पूरा करना होगा। अब ऐसे हितग्राहियों के एकल विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसे पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम 2 पुत्रियों पर व्यय की गई राशि मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से प्राप्त की जायेगी। 2 से अधिक पुत्रियों के विवाह होने की स्थिति में योजनांतर्गत सहायता राशि सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।

6.2. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश की वधू के लिये है। यदि वर प्रदेश के बाहर का भी है तो उस वधू को योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। लेकिन जब वधू / वधू के अभिभावक प्रदेश के मूल निवासी नहीं हो तो योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा।

6.3. कन्या का पूर्व में विवाह न हुआ हो। इस मापदण्ड से आशय यह है कि वर-वधू का विवाह योजनांतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही सम्पन्न हो एवं ऐसा न हो कि उनके द्वारा पूर्व में एकल या किसी अन्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम द्वारा विवाह कर लिया गया हो।

6.4. सामूहिक विवाह कार्यक्रम तभी आयोजित किये जायेंगे जब न्यूनतम 5 जोड़ों से आवेदन प्राप्त हो।

7. **जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन समिति:-**  
सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला स्तरीय एवं निकाय स्तरीय समितियों का गठन जिला कलेक्टर

द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। उक्त समितियों में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रत्येक समिति हेतु क्षेत्रीय विधायकों एवं 5 स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों को नामांकित किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों के अलावा निम्नानुसार शासकीय अधिकारी सदस्य होंगे-

- 7.1. जिला स्तरीय समिति में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), जिला श्रम अधिकारी, संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
- 7.2. नगर निगम क्षेत्र की समिति में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), जिला श्रम अधिकारी, संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
- 7.3. जनपद/ नगर पालिका/नगर परिषद स्तरीय समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम निरीक्षक, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, नगरीय निकायों की समितियों में जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) भी सदस्य रहेंगे।
- 7.4. सभी स्तर की समितियों में कम से कम 2 महिलाओं (शासकीय या अशासकीय) को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

**8. कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत संस्था:-** योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्नांकित संस्थाएँ अधिकृत रहेगी-

- 8.1. **नगरीय क्षेत्र-** नगरीय निकाय (नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद)
- 8.2. **ग्रामीण क्षेत्र -** जनपद पंचायत

अन्य किसी संस्था द्वारा कराये जा रहे सामूहिक विवाह इस योजनांतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे।

9. **तिथियों का निर्धारण:-** सामूहिक विवाह की तिथियां एवं संख्या का निर्धारण जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जावेगा। इन तिथियों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे। इन तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित किया जाये, जिससे इच्छुक जोड़ों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सके। जिले के संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा उक्त तिथियों को विवाह पोर्टल पर इन्द्राज किया जावेगा।

10. **विवाह हेतु हितग्राहियों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया:-**

10.1. सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली वधू एवं वर को संयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित निकाय (नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद् या जनपद पंचायत) को सामूहिक विवाह कार्यक्रम की निर्धारित दिनांक से 15 दिन पूर्व करना होगा। आवेदन पत्र निःशुल्क जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय में उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आवेदन प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

10.2. यह आवेदन उस निकाय में करना होगा जिसके अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आवेदक सम्मिलित होना चाहते हैं।

10.3. वधू द्वारा निम्नानुसार स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र आवेदन पत्र के भाग-2 में देना होगा-

10.3.1. कन्या हेतु- कि कन्या का इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ।

10.3.2. विधवा हेतु- कि उनका पूर्व में विवाह हुआ किन्तु उनके पति की मृत्यु हो गई है।

10.3.3. परित्यक्ता हेतु- कि उनका पूर्व में विवाह हुआ किन्तु उनका पति से कानूनी तलाक हो चुका है।

10.4. कण्डिका 10.3 की तर्ज पर वर द्वारा स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र (आवेदन पत्र का भाग-4)

10.5. आवेदन पत्र के साथ पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

10.6. संबंधित निकाय द्वारा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के दिवस में ही आवेदक को पावती (प्रारूप परिशिष्ट-2) देना अनिवार्य होगा।

10.7. सभी प्राप्त आवेदनों को विवाह पोर्टल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी।



## 11. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले पात्रता संबंधी दस्तावेज:-

- 11.1. वधू/ वधू के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
- 11.2. वधू व उसके वर की 9 अंको की समग्र आईडी। समग्र आईडी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित निकाय जिसका आवेदक निवासी है द्वारा समग्र आईडी उपलब्ध कराई जायेगी। वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में समग्र आईडी अनिवार्य नहीं होगा।
- 11.3. वधू व वर के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- 11.4. वधू व वर का आयु प्रमाण पत्र। आयु की पुष्टि हेतु वधू और वर द्वारा निम्नांकित दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे-
  - 11.4.1. स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.) अथवा
  - 11.4.2. अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अथवा
  - 11.4.3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, जन्म प्रमाण पत्र अथवा
  - 11.4.4. मतदाता सूची/मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्म तिथि अंकित हो
  - 11.4.5. शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाण पत्र अथवा
  - 11.4.6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जाब कार्ड
  - 11.4.7. अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकार्य हो
- 11.5. वधू व उसके वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ।
- 11.6. वधू व वर का मोबाईल नम्बर (यदि हो तो)।
- 11.7. अभिभावक का मोबाईल नम्बर (यदि हो तो)
- 11.8. कल्याणी(विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
- 11.9. परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश,
- 11.10. यदि हितग्राही मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति (यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसे पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम 2 पुत्रियों पर व्यय की गई राशि मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से प्राप्त की जायेगी)

## 12. विवाह हेतु हितग्राहियों की पात्रता की जांच एवं चयन प्रक्रिया:-

हितग्राहियों की पात्रता की जांच हेतु ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम अथवा निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जांच समिति का गठन किया जायेगा, जो कि पात्रता के मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों के आवेदन पत्रों की जांच कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु चयन करेगी। जांच समिति आवेदन पत्रों की जांच कर **परिशिष्ट-3** अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जांच पश्चात पाये गये सभी आवेदनों की पात्रता (पात्र एवं अपात्र दोनों) के विवरण को विवाह पोर्टल में दर्ज किया जावेगा। उक्त प्रक्रिया को सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी। पात्र जोड़ो के स्वीकृति आदेश (प्रारूप संलग्न **परिशिष्ट-4**) एवं अपात्र पाये गये जोड़ो के अस्वीकृति आदेश (प्रारूप संलग्न **परिशिष्ट-5**) पोर्टल से जनरेट किया जायेंगे। पात्र पाये गये सभी आवेदकों को सामूहिक विवाह में उपस्थित रहने हेतु सूचना (आमंत्रण पत्र **परिशिष्ट-6**) देना होगा एवं अपात्र किये गये आवेदन को कारण सहित अवगत कराया जाना होगा। पात्र जोड़ो के स्वीकृति आदेश विवाह पोर्टल द्वारा ही जनरेट किये जायेंगे।

## 13. वधू को उपहार सामग्री प्रदान करने की प्रक्रिया:- राशि रूपये 38000/- की सामग्री सामूहिक विवाह के समय ही वधू को प्रदाय करना आवश्यक होगा। उपहार सामग्री की सुझावित सूची निम्नानुसार है-

स.क्र.	सामग्री	न्यूनतम मानक
1	एल.पी.जी. गैस कनेक्शन एवं चूल्हा (प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत )	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अनुसार
2	कलर टी.वी. 32 इंच	ISI Mark
3	रेडियो	ISI Mark
4	स्टील की अलमारी (साढे पांच फीट)	20 गेज
5	6 फाईबर कुर्सी का सेट टेबल के साथ	ISI Mark
6	लोहे का निवार वाला पलंग अथवा लकड़ी का पलंग (4X6 फीट)	मजबूत एवं टिकाऊ
7	रजाई गद्दे तकिया सहित दो चादर	रेडीमेड 3 ½ इंच के रूई की मोटाई
8	आभूषण- पायल, बिछिया, माथा टीका/बेंदा, मंगलसूत्र (चांदी के)	चांदी का 70% टंच • पायल- 70gm • बिछिया- 10gm

स.क्र.	सामग्री	न्यूनतम मानक
		<ul style="list-style-type: none"> <li>माथा टीका/बेंदा- 10gm</li> <li>मंगलसूत्र- 50 gm</li> </ul>
9	पैर वाली सिलाई मशीन	ISI Mark
10	टेबल फेन (पंखा)	ISI Mark
11	दीवार घड़ी	ISI Mark
12	डाइनिंग टेबल लकड़ी या फाइबर की (6 कुर्सी) सहित	ISI Mark
13	स्टील के 51 बर्तन का सेट	20 गेज ISI Mark
14	प्रेसर कुकर	ISI Mark
15	वधू के वस्त्र- साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट- (सभी 4 नग), चूडिया, श्रृंगार की सामग्री	अच्छी ब्रांड का क्वालिटी कपड़ा एवं सामग्री

जिला स्तर की समिति उक्त सूची में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से परिवर्तन कर सकेगी।

**14. दरों के निर्धारण हेतु प्रक्रिया:-** दरों एवं विक्रेताओं का निर्धारण जिला स्तर पर म.प्र. भण्डार क्रय नियम के अनुसार किया जावेगा। उक्त निर्धारण करने हेतु निम्नानुसार गठित समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा दरों एवं विक्रेताओं का प्रतिवर्ष निर्धारण किया जायेगा -

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	अध्यक्ष
परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा)	सदस्य
जिला कोषालय अधिकारी	सदस्य
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
महिला बाल विकास अधिकारी	सदस्य
संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय	सदस्य/सचिव

उक्त गठित समिति में महिला अधिकारी न होने पर कलेक्टर जिले की 2 महिला अधिकारियों का नाम विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामांकित कर सकेंगे जो कन्या के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री के चयन के विकल्प और गुणवत्ता पर सुझाव दे सकें।

- 15. स्वीकृतकर्ता अधिकारी:-** योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे।
- 16. आहरण संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) :-** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डी.डी.ओ. होंगे। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद के लिए वर्तमान व्यवस्था अनुसार जिले के संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग डी.डी.ओ. होंगे। योजनांतर्गत बजट के आवंटन की उपलब्धता ग्लोबल रहेगी।
- 17. कार्यक्रम के आयोजन एवं उपहार सामग्री की गुणवत्ता:-** कंडिका 7.2 एवं 7.3 में उल्लेखित समिति द्वारा वधू को प्रदाय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। उक्त समिति द्वारा प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता संबंधी संतुष्टि प्रमाण पत्र के उपरांत ही विक्रेता को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 18. वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक (A/C Payee Cheque) प्रदाय करने हेतु प्रक्रिया-** सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन के समय ही वधू को रूपये 11000/- का अकाउन्ट पेयी चेक (A/C Payee Cheque) प्रदान किया जायेगा। इस हेतु पात्रता की जांच के पश्चात पात्र हितग्राहियों हेतु स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वीकृति पत्र जारी करेगा एवं चेक बनाने की प्रक्रिया आरंभ करेगा। स्वीकृति आदेश को देयक के साथ कोषालय में आहरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। डी.डी.ओ. द्वारा उक्त राशि का कोषालय से आहरण कर आयोजनकर्ता निकाय के खाते में जमा कराया जायेगा। इस प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राशि का आहरण कर स्वयं के जनपद के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायेंगे। नगरीय क्षेत्रों के लिए संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण नगरीय निकाय के बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायेंगे। जिससे कि विवाह के समय वधू को चेक देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आयोजनकर्ता निकाय के बैंक खाते में आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध हो।
- 19. अपीलीय अधिकारी:-** यदि किसी हितग्राही का आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निरस्त किया गया है तो उसकी अपील संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक अपील का निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जायेगा।
- 20. विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाईन एप्लिकेशन द्वारा जारी करने की प्रक्रिया:-** विवाह कार्यक्रम में शामिल पात्र हितग्राहियों को विवाह प्रमाण पत्र (प्रारूप

संलग्न **परिशिष्ट-7)** सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से वर-वधू को विवाह उपरांत उपलब्ध कराया जावेगा।

- 21. अभिलेखों का संधारण:-** हितग्राहियों की जानकारी निकाय द्वारा विवाह पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। इसके अतिरिक्त हितग्राहियों द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं दस्तावेज इत्यादि अभिलेख एवं छायाचित्र 5 वर्ष तक अनिवार्य रूप से रखना होगा।
- 22. आडिट:-** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई राशि और उनके द्वारा किये गये व्यय आदि का लेखा परीक्षण (आडिट) महालेखाकार से प्रतिवर्ष कराना होगा। वर्ष के अंत में जो राशि अनुपयुक्त रहेगी उसे तत्काल जिले को वापस करना होगी। संबंधित निकाय द्वारा कराये गये आडिट की प्रति जिले के संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 23. बजट:-** योजनांतर्गत व्यय मांग संख्या 34 शीर्ष 2235 के अंतर्गत विकलनीय होगा। मांग संख्या का विवरण इस प्रकार है-

### **सामान्य मद**

मांग संख्या-34 (सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण)-शीर्ष-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-0101- राज्य योजना सामान्य-6710-दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)-42-सहायक अनुदान-007-अन्य मद

### **आदिवासी मद**

मांग संख्या-34(सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण)-शीर्ष-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)-42-सहायक अनुदान-007- अन्य

### **अनुसूचित जाति मद**

मांग संख्या-34(सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण)-शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-0103- अनुसूचित जाति उप योजना- 6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)-42-सहायक अनुदान-007- अन्य

**24. श्रम विभाग से राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया:-** श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल की योजनाओं में पंजीकृत श्रमिक संवर्ग के हितग्राहियों की कन्याओं को भुगतान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के मद से किया जावेगा। ऐसे हितग्राहियों की 2 कन्याओं हेतु व्यय का समायोजन मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल से राशि प्राप्त कर किया जावेगा। इस हेतु संचालनालय स्तर पर ऐसे हितग्राहियों पर प्रत्येक त्रैमास में व्यय की गई राशि का समायोजन करने हेतु प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग एवं सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल को मांग पत्र भेजेंगे। यह राशि मण्डल द्वारा Receipt मद 0075 (Miscellaneous General Services)-800 (Other Receipts (1)) में जमा कराई जायेगी।

**25. प्रचार-प्रसार :-** कार्यक्रम का सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार जिला प्रशासन द्वारा एवं निकायों द्वारा किया जाएगा। इस हेतु जनसम्पर्क विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की जाये। प्रचार-प्रसार में इस जानकारी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जायेगा कि किन निकायों में किन-किन तिथियों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इस हेतु दीवाल पर लेखन, पम्पलेट, बेनर, पोस्टर (प्रारूप परिशिष्ट-8) भी लगाये जा सकेंगे।

**26. अन्य बिन्दु :-**

26.1. आवेदन पत्र पूर्णता की स्थिति में ही स्वीकार किये जावे। अपूर्ण आवेदन को पूर्ण कराने हेतु आवेदक की यथासंभव सहायता की जाये। पोर्टल में प्रदर्शन करने के अतिरिक्त स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदनों को निकाय के सूचना पटल पर भी प्रकाशित कराया जाये।

26.2. वर एवं वधू के परिवार से किसी प्रकार का कोई पंजीयन शुल्क अथवा दान नहीं लिया जावे। विवाह निःशुल्क होगा। यदि कोई कन्या को कोई उपहार देना चाहते हो उसकी सूची तैयार की जाएगी जिसमें उपहार देने वाले का नाम, उपहार का नाम, उपहार की मात्रा/संख्या अनुमानित मूल्य आदि को सूचीबद्ध कर सूचना पटल पर प्रदर्शित करना होगा तथा ऐसी उपहार सामग्री की सूची समिति अपने अभिलेख में पृथक से रखेगी।

26.3. वर एवं वधू की निर्धारित आयु पूर्ण नहीं होने की स्थिति में बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 की धारा 6 के अंतर्गत वर-वधू के दोषी पिता/माता/अभिभावक/ प्रायोजक प्रमुख तथा धारा 5 के तहत बाल विवाह

(अनुष्ठान) सम्पन्न कराने वाले व्यक्ति के लिये नियमानुसार कानूनन प्रावधान है।

- 26.4. विवाह समारोह में सम्माननीय जन प्रतिनिधियों/ गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाये, उनको सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाये और यथासंभव उन्हीं के हाथों से वधुओं को दी जाने वाली उपहार सामग्री, चेक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किये जायें।
- 26.5. वधू को प्रदाय की गई गृहस्थी की सामग्री की विधिवत प्राप्ति/अभिस्वीकृति/ रसीद अवश्य प्राप्त की जावे। पावती रसीद का प्रारूप **परिशिष्ट-9** पर संलग्न है।
- 26.6. विधवा/परित्यक्ता/अविवाहिता का विवाह होने के उपरांत यदि कल्याणी पेंशन/परित्यक्ता पेंशन/ अविवाहिता पेंशन प्राप्त हो रही हो तो पेंशन बंद करने की कार्यवाही की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी।

-----